सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-705 आ.न.यो./9-8-2014-81ज/2013

प्रेषक

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश, द्वारा जिलाधिकारी।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 18 जून, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव/कार्ययोजना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्राप्त प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये है। प्रस्ताव/कार्ययोजना के कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली, 2007 के नियम-14(1) से आच्छादित होना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है, के विषय में आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

2. अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24.1.2008 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/नौ-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28 मई, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव सक्षम स्तर (अधिशासी अभियंता) से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति कर 03 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

(1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि निकाय को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

(2) यदि निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित कराकर

GO-ANy

प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ (कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ) भी संलग्न किया जाय।

(3) कार्ययोजना/ प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.4.2008 की व्यवस्थानुसार रूपये 40.00 लाख तक के आगणन का सक्षम स्तर अधिशासी अभियंता/सक्षम स्तर से परीक्षणोंपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

(5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न **"प्रमाण पत्र"** अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा :-

"प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

GO-ANy